

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 11/2020

1 ईश्वरचन्द पुत्र बिहारीलाल जाति महाजन निवासी चौखा का बास तहसील धोद जिला सीकर।



अपीलांत

बनाम

- 1 संतोष पुत्री नरसीराम।
- 2 नरसी पुत्र चन्द्रा।
- 3 श्रीमती मनोहरी पत्नी नरसीराम।
- 4 दिनेश पुत्र नरसीराम समस्त जाति जाट निवासीगण कदमा का बास तहसील धोद जिला सीकर।
- 5 श्रीमान तहसीलदार तहसील धोद जिला सीकर।

रेस्पोंडेंट

अपील विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी धोद  
दिनांक 07.01.2020 अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान  
काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थिति :

1. श्री भागीरथ जाखड़, अधिवक्ता अपीलांत
2. श्री कैलाश सोनी, अधिवक्ता रेस्पोंडेंट

406

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
सीकर

-निर्णय-

दिनांक:- 07.01.2022-

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद द्वारा मुकदमा नम्बर 61/2014 में पारित निर्णय दिनांक 07.01.2020 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोंडेंट नम्बर 01 ने एक दावा उद्घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु भूमि खसरा नम्बर 241 रकबा 4.30 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 268 रकबा 2.93 हैक्टेयर तन ग्राम कदमा का बास तहसील धोद जिला सीकर के बाबत विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया तथा इसके साथ ही एक आवेदन अस्थायी निषेधाज्ञा का अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया था जिसको विचारण न्यायालय ने बिना किसी आधार के स्वीकार कर अपीलांट के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का आदेश पारित किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि आराजी खसरा नम्बर 241 रकबा 4.30 हैक्टेयर वाके ग्राम कदमा का बास तहसील धोद के पूर्व खातेदार नरसीराम ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.08.2010 को मुबलिग 8,00,000/- रूपयों में अपीलांट को विक्रय कर कब्जा संभलाया था जिस पर अपीलांट बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है। आराजी मुतनाजा खसरा नम्बर 241 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के अपीलांट ने खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है इसलिये कानूनन बोनाफाईड परचेजर के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। रिकार्ड पर रेस्पोंडेंट संख्या 01 का कोई केस साबित नहीं है तथा ना ही कोई रिकार्ड रेस्पोंडेंट के पक्ष में है तथा न ही रेस्पोंडेंट संख्या 01 ने अपीलांट के पक्ष में तहरीर किये गये विक्रय पत्र को कही चुनौती दी हो ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
सीकर

पर नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.डी. 1995 पेज 270 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि पैतृक है सजरा खानदान के अनुसार विवादित भूमि चन्द्राराम से नरसीराम को प्राप्त हुई है। प्रार्थीया नरसीराम की पुत्री होने से प्रार्थीया का नोस्नल शेयर बनता है। प्रार्थीया के पिता को अकेले को विवादित सम्पूर्ण भूमि विक्रय करने का विधिक अधिकार नहीं था। विचारण न्यायालय में सम्पूर्ण तथ्यों का प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु अनुसार विवेचन कर विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है अपील सारहीन है अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आराजी खसरा नम्बर 241 रकबा 4.30 हैक्टेयर वाके ग्राम कदमा का बास तहसील धोद के पूर्व खातेदार नरसीराम ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.08.2010 को मुबलिग 8,00,000/- रूपयों में अपीलांट को विक्रय कर कब्जा संभलाया था जिस पर अपीलांट बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है। आराजी मुतनाजा खसरा नम्बर 241 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के अपीलांट ने खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है इसलिये कानूनन बोनाफाईड परचेजर के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। रिकार्ड पर रेस्पोडेंट संख्या 01 का कोई केस साबित नहीं है तथा ना ही कोई रिकार्ड रेस्पोडेंट के पक्ष में है तथा न ही रेस्पोडेंट संख्या 01 ने अपीलांट के पक्ष में तहरीर किये गये विक्रय पत्र को कही चुनौती दी हो ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

  
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
सीकर



विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 1995 पेज 270 में माननीय राजस्व मण्डल ने अभिनिर्धारित किया गया है कि "Rajasthan Tenancy Act, Section 212 - Disputed land is in the co-tenancy- One of the co-tenant transferred the land with possession by registered sale- deed- Interim injunction cannot be issued against the purchaser as he is in physical possession on the part of land sold- Order of lower courts set aside.

उपरोक्त विवेचन एवं न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 07.01.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,  
सीकर